

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 230 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 अप्रैल 2015 — चैत्र 23, शक 1937

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-122/सात-1/2012. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दन्तेवाड़ा तहसील एवं कुंआकोण्डा तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नवीन तहसील बड़े बचेली का सृजन करती है जिसे उक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

अनुसूची

स. क्र. (1)	वर्तमान तहसील (2)	परिवर्तन का स्वरूप (3)	सीमायें (4)
1.	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा तहसील की वर्तमान सीमा से निम्नलिखित ग्रामों को अपवर्जित करते हुए बड़े बचेली तहसील का सृजन,-  1. भांसी 2. पोरोकमेली 3. बड़ेकमेली 4. झारलवा 5. बड़े बचेली 6. पीनाबचेली 7. पादागपुर 8. बैनपाल 9. नेरली 10. बेहनार	नवीन तहसील बड़े बचेली की सीमा क्षेत्र पूर्व में - तहसील कुंआकोण्डा पश्चिम में - तहसील बीजापुर उत्तर में - तहसील दन्तेवाड़ा दक्षिण में - तहसील फौटा

(1)	(2)	(3)	(4)
		11. मोलसनार 12. डवेला 13. कुहचेपाल 14. गंजेनार 15. दुगेली 16. चोलनार (शिवनाथपुर)	
2.	कुआकोण्डा	कुआकोण्डा तहसील की वर्तमान सीमा से निम्नलिखित ग्रामों को अगवर्जित करते हुए बड़े बचेली तहसील का सृजन -  1. कड़मपाल 2. किरंदुल 3. कोड़ेनार 4. चोलेनार 5. मवाडी 6. समलवार 7. मडकामीरास 8. पोरपा 9. पीरनार 10. कलेपाल 11. हिरौली 12. पुरंगेल 13. लावा 14. बैगपाल 15. बीडेपल्ली 16. अलनार 17. कुडरेम 18. गुमियापाल 19. लनेली 20. पेडका 21. सेंगेली 22. माडेवा 23. पोदाली 24. अरनपुर 25. अयेली 26. मेण्डपाल 27. ककाडी 28. नहाडी 29. गुलेर	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 पी. निहालानी, संयुक्त सचिव

Naya Raipur, the 31st March 2015

## NOTIFICATION

No. F-6-122/सत-1/2012.— In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the Government of Chhattisgarh, hereby, alters the limits of Dantewada Tahsil and Kuakonda Tahsil, to create a new Bade Bacheli Tahsil, as specified in the Schedule below, the same having been previously published, as required by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, namely :-

## SCHEDULE

S. No. (1)	Present Tahsil (2)	Nature of Change (3)	Limits (4)
1.	Dantewada	Creation of Bade Bacheli Tahsil by Exclusion of following villages from present boundary of Dantewada Tahsil,-  1. Bhasi 2. Porokameli 3. Badckameli 4. Jhharalawa 5. Badebacheli 6. Pinabacheli 7. Padhapur 8. Benpal 9. Nerli 10. Behnar 11. Molsanar 12. Udele 13. Kuhchepal 14. Ganjenar 15. Dugefi 16. Cholnar (Shivnapadar)	Surrounding areas of New Tahsil Bade Bacheli East - Tahsil Kuakonda West - Tahsil Bijapur North - Tahsil Dantewada South - Tahsil Konta
2.	Kuakonda	Creation of Bade Bacheli Tahsil by Exclusion of following villages from present boundary of Kuakonda Tahsil,-  1. Kadampal 2. Kirandul 3. Kodanar 4. Cholenar 5. Midadi 6. Samalwar 7. Mudkamiras 8. Perpa 9. Pinar 10. Kalepal 11. Hiroli 12. Purangel 13. Lawa 14. Bengpal 15. Bodepalli 16. Alnar	

(1)	(2)	(3)	(4)
		17. Kutrem	
		18. Gumiyapal	
		19. Tuneli	
		20. Pedka	
		21. Semeli	
		22. Mareda	
		23. Potali	
		24. Arampur	
		25. Acheli	
		26. Mendpal	
		27. Kakadi	
		28. Nahadi	
		29. Muler	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
P. NIHALANI, Joint Secretary.